बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—::कार्यालय आदेश::—

का0आ0—15/बि0स0से0—18—02/2016 सा0प्र0......................./, पटना—15, दिनांक...............................

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवा निवृत कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा—निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका—3(3)(ख) के तहत गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक 28.11.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर नीचे अंकित सेवानिवृत सहायक को उनके नाम के सामने स्तम्भ—06 में अंकित विभाग में सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है:—

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	नियोजन का विभाग/कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	श्री सत्राजीत मिश्र	सहायक	15.10.1959	31.10.2019	विधि विभागबिहार, पटना (महाधिवक्ता कार्यालय हेतु)

2. यह नियोजन योगदान की तिथि से दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा।

3. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय—समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. उक्त सेवानिवृत कर्मियों के विरूद्ध किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने पर नियोजन रद्द हो जायेगी।

6. आरक्षण के लाभ की अनुमान्यता के आधार पर तत्संबधी प्रमाण—पत्र योगदान के समय प्राप्त कर लेने तथा उसकी प्रामाणिकता की सम्पुष्टि अनिवार्य होगा।

7. अनुशंसित अभ्यर्थी का नियोजन जिस पद विशेष से सेवानिवृत हुए है उसी पद पर अथवा समकक्ष पद पर होने के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे।

8. संकल्प की कंडिका—3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका—3(6)(iv) के तहत सेवा निवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

9. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका—3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

10. इन सेवानिवृत सहायको को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

11. इन सेवानिवृत सहायको को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/–
(शिव महादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0........................./, पटना–15, दिनांक...........................

प्रतिलिपिः–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–16 एवं 22, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सत्राजीत मिश्र, सेवानिवृत सहायक, महाधिवक्ता कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0................/पटना–15, दिनांकः–...............................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 42 **/पटना–15, दिनांकः**–04-2-20

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04.02.2020
सरकार के अवर सचिव।

74 PK/AK-19/office order